<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)</u>

<u>राजस्व प्रार्थना संख्या 06/2019</u>

1. रामचन्द्र पुत्र बालू उम्र 40 वर्ष
2. श्रीमति ग्यारसी पत्नि रेगर उम्र 60 वर्ष बालिग
   सभी जाती रेगर एवम समस्त निवासीगण ग्राम बहादुरपुरा ग्राम पंचायत दौलतपुरा प्रथम तहसील बिजयनगर जिला अजमेर

——————प्रार्थीगण

<u>ब ना म</u>

1. घासी पुत्र श्री हमीरा रेगर जाति रेगर
2. गोपाल पुत्र श्री हमीरा रेगर जाति रेगर
3. दूदा पुत्र श्री बालू गुर्जर जाति गुर्जर
4. हाथी पुत्र श्री दूदा गुर्जर जाति गुर्जर
   समस्त निवासीगण ग्राम बहादुरपुरा ग्राम पंचायत दौलतपुरा प्रथम तहसील बिजयनगर जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बिजयनगर

———अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, भू– राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांकः 11.02.2021

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा ग्राम लोरडी द्वितीय पटवार क्षेत्र बहादुरपुरा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर की जमाबन्दी स्मवत 2070–1073 के अनुसार स्थित आराजी खसरा संख्या 1865/590 रकबा 07–00–00 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चले आते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की उक्त आराजीयाज की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमि पर तहसीलदार महोदय बिजयनगर द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकंन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

Signature Not Verified

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:23:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की सुनी गई जिन्होंने कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

...........लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

रामचन्द्र बनाम घासी व अन्य
प्रकरण संख्या 06/2018

बाद अवलोकन पाया कि ग्राम लोरडी द्वितीय पटवार क्षेत्र बहादुरपुरा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर की जमाबन्दी स्मवत 2070–1073 के अनुसार स्थित आराजी खसरा संख्या 1865/590 रकबा 07–00–00 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में चली आती है।

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थीगण पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भू अभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा ग्राम लोरडी द्वितीय पटवार क्षेत्र बहादुरपुरा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर की जमाबन्दी स्मवत 2070–1073 के अनुसार स्थित आराजी खसरा संख्या 1865/590 रकबा 07–00–00 भूमि का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 11.02.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर)

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:23:22 IST
Reason: SelfAttested